राजस्व लोक अदालत केम्प भगवानपुरा तहसील पचपदरा

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ राम, आर.ए.एस

2018/01442

मुकदमा न0 57/2018

वादीगण :— 1 सांवलराम पुत्र नारणाराम कुम्हारा सा. चिलानाडी

बनाम

प्रतिवादीगण :— 1. धनाराम, ताराराम, भंवरलाल, बुधाराम, सुखाराम पुत्र नारणाराम, लेहरो बेवा नारणाराम कुम्हार सा. चिलानाडी।

अपील अंतर्गत धारा 75 रा.भू.राजस्व अधिनियम विरूद्व

निर्णय दिनांकः—18.06.2018

यह अपील अपीलान्ट के द्वारा अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार ग्राम पंचायत भगवानपुरा में प्रस्तुत की गई है।

अपीलाण्ट ने वाद पत्र में सक्षिप्त रूप से प्रकरण में जाहिर किया कि ग्राम चिलानाडी के विवादित ख0न0 2731 रकबा 35.18 बीघा भूमि के खातेदार है। उक्त आराजी में अपीलाण्ट का नाम सांवलराम की जगह चिमनाराम नाम लिखवा दिया गया है जो अशुद्व नाम है। जबकि अपीलाण्ट का सही नाम सावंलराम सही नाम है । अतः सांवलराम पुत्र नारणाराम करने का निवेदन किया है।

पत्रावली के संलग्न दस्तावेज का अवलोकन व अध्ययन किया गया । अपीलाण्ट द्वारा पेश वाद के साथके प्रस्तुत वादपत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेज आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड , जमाबंदी व पटवारी भगवानपुरा/ उपतहसीलदार पाटोदी की संयुक्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया जिसके अनुसारं अपीलाण्ट का नाम चिमनाराम राजस्व रेकर्ड में अशुद्व नाम दर्ज है। जब कि अन्य सरकारी दस्तावेज में सांवलराम दर्ज है।

अतः अपीलाण्ट का अपील स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पचपदरा को आदेश दिया जाता है ग्राम चिलानाडी के विवादित ख0न0 2731 रकबा 35.18 बीघा भूमि में अपीलाण्ट का नाम चिमनाराम के स्थान पर सांवलराम पुत्र नारणाराम नाम दर्ज करने का आदेश दिया जाता है।

आदेश राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार में सुनाया गया ।
पत्रावली फैसल सुमार होकर के दाखिल दफ्तर हो ।

(भागीरथ राम)
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कोर्ट कैम्प-2018
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
बालोतरा कैम्प भगवानपुरा

Scanned by CamScanner